डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

अत्यावश्यक पत्र सं0- ब15/बी0एस0जी0-224/2017 903 /वि0

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 21.12.2018

विषय - वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रावधानित बजट अन्तर्गत संभावित बचत राशि के प्रत्यर्पण हेतु प्रस्ताव दिनांक-31.12.2018 तक भेजने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान में राजकोषीय घाटा/जी0एस0डी0पी0 7.5 प्रतिशत अंकित है । चालू वित्तीय 2018-19 में पुनरीक्षित राजकोषीय घाटा/जी0एस0डी0पी0 अनुपात 5.37 प्रतिशत तक हो चुका है । राजकोषीय घाटा/जी0एस0डी0पी0 को राज्य सरकार के वास्तविक बजट अनुमान का 3.0 प्रतिशत तक रखा जाना होता है ।

प्रायः देखा जाता है कि अधिकांश विभागों द्वारा राशि का प्रत्यर्पण उस वित्तीय वर्ष के अन्त में 31 मार्च को किया जाता है, जिसके कारण प्रत्यर्पित राशि के अनुरूप उस वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन में संशोधन नहीं हो पाता है । उल्लेखनीय है कि आगामी वित्तीय वर्ष की बजट पुस्तिका जनवरी में प्रकाशित होनी है तथा उसके पश्चात् पुनरीक्षित प्राक्कलन को वास्तविक बजट के अनुरूप संशोधित किया जाना संभव नहीं हो पायेगा ।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में विभागीय स्तर पर चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की समीक्षा करते हुए प्रावधानित बजट अन्तर्गत संभावित बचत राशि के प्रत्यर्पण हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को 31 दिसम्बर 2018 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष की बजट पुस्तिका में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन को वास्तविक बजट के अनुरूप संशोधित किया जा सके ।

विश्वासभाजन

21/12/2018

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव